Uttar Pradesh Shasan
Satarkta Anubhag – 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 2339/39-4-2010-21/05, dated September 22, 2010.

Notification

No. 2339/39-4-2010-21/05

Dated : Lucknow : September 22, 2010

Whereas the Uttar Pradesh Vigilance Establishment is an Organization set up under the Vigilance Department of Uttar Pradesh Government which *inter alia* functions to collect intelligence. investigate criminal offences and file chargesheet against the accused in the appropriate court, requiring top secrecy and precautions and in the matter of such cases giving any information under the Right to information Act, 2005 at the initial stage, investigation stages and even at prosecution stages would adversely affect the process of investigation and prosecution of offenders; And whereas The Uttar Pradesh Vigilance Establishment functions directly under the control of the Vigilance Department of Uttar Pradesh Government;

Now, therefore, in exercise of powers under sub-section (4) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (Act no. 22 of 2005), the governor is pleased to specify that the provisions of the said Act shall not apply to the Vigilance Department of the Uttar Pradesh Government and its Organization i.e. Vigilance Establishment.

By order,

(Kunwar Fateh Bahadur)

Principal Secretary

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग – 4

संख्या – 2339/39–4–2010–21/05

लखनऊ : दिनांक : 22 सितम्बर 2010

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान एक ऐसा संगठन है जो अभिसूचना संकलित करने, दाण्डिक अपराधों की विवेचना करने और समुचित न्यायालय में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप – पत्र दाखिल करने का कार्य करता है, जिसके लिए शीर्ष गोपनीयता एवं पूर्वावधानियॉ आवश्यक हैं और ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक स्तर पर, विवेचना के स्तरों तथा अभियोजन के स्तरों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना दिये जाने से विवेचना की प्रकिया एवं अपराधियों के अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

और चूँकि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन सीधे कार्य करता है ;

अतएव, अब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग तथा उसके संगठन अर्थात् सतर्कता अधिष्ठान पर उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

आज्ञा से,

(कुंवर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव